भगवानी देवी - गंगाधर - पु.न. 76/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30/10/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय रारे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 76/2022

1 श्रीमती भगवानी देवी पत्नी जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. जरिये मुख्त्यार जगदीश प्रसाद पुत्र शेखारमा जाति जाट निवासी ग्राम सनवाली, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 गंगाधर पुत्र शेखाराम
2 महावीर पुत्र शेखाराम
3 रामरतन पुत्र शेखाराम
4 सुन्दर देवी पत्नी महावीरप्रसाद
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम सनवाली तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
5 संतोष पत्नी मुकेश
6 बीरबल पुत्र नाथाराम
समस्त जाति कुमावत निवासीगण ग्राम बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
7 द्रोणाचार्य पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
8 हल्का पटवारी पटवार हल्का बगड़ी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
9 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
10 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11 हारून भाई निर्बाण पुत्र कालु भाई निर्बान जाति तेली निवासी 37–2 मुगल पार्क के सामने रसुलबाद अहमदाबाद सिटी शाह आलम सेजा अहमदाबाद गुजरात।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. दिनांकित 24.12.2021 एवं दिनांक 12.01.2022 जो राजस्व वाद संख्या 65/2020 शीर्षक भगवानी बनाम इमामुदीन में पारित किया गया।

उपस्थिति :

1. श्री सुशीला कुमावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री दाउद तगाला, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.10.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 65/2020 में पारित निर्णय दिनांक 24.12.2021 व 12.01.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 413, 415 वाके ग्राम बगड़ी के संदर्भ में अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रतिवादी संख्या 17 की ओर से काउंटर क्लेम प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय दिनांक 24.12.2021 से विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की एवं दिनांक 12.01.2022 ये विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की है। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना, प्रतिवादी संख्या 17 का नाम रिकार्ड पर लेने के बाद संशोधित शीर्षक प्राप्त किये बिना, काउंटर क्लेम का जवाब प्राप्त किये बिना तनकी कायम किये बिना साक्ष्य प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया एवं काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। इसके उपरांत बिना सुनवाई मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री जारी कर दी। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि विरूद्ध है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के साथ प्रस्तुत की गई है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद अपीलांट ने प्रस्तुत किया था। अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रहीं है। अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री, काउंटर क्लेम के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विधि अनुसार तीनों की पृथक–पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। तीनों की एकसाथ प्रस्तुत अपील विधि द्वारा पोषणीय नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

न्यायालय में वाद अपीलांट ने प्रस्तुत किया था। अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रहीं है। अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री, काउंटर क्लेम के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत कर दी गई है। विधि अनुसार तीनों की पृथक-पृथक अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। तीनों की एकसाथ प्रस्तुत अपील विधि द्वारा पोषणीय नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी